

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
कार्यालय, समन्वयक, प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2024
Pre D.El.Ed. Examination 2024
आवेदक द्वारा घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री घोषणा करता /करती हूँ कि

1. मैंने प्री डी.एल.एड. (सामान्य) / प्री डी.एल.एड. (संस्कृत) परीक्षा, 2024 से सम्बन्धित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है।
2. मैं किसी भी स्थिति में शुल्क लौटाने के लिये नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2024 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूँगा/भेजूँगी और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात ही न्यायालय से न्याय हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी। किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्य क्षेत्र केवल कोटा स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।
(ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर समन्वयक कार्यालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो समन्वयक को समुचित मुआवजा देने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
(स) न्यायालय में दायर सभी विवादों के लिये न्यायिक अधिकार कोटा शहर स्थित न्यायालय का ही होगा।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा। क्रीमीलियर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा तथा ऐसा अधिकतम 3 वर्षों तक ही किया जा सकेगा।
6. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र को किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
7. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट www.predledraj2024.in से डाउनलोड करूँगा/करूँगी।
8. मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन प्रवेश देने वाली संस्था द्वारा किया जाएगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
9. मेरे द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना में दी गई जानकारी को मेरे दस्तावेजों से सावधानीपूर्वक मिलान / जाँच कर सही पाया गया है।
10. मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज प्रवेश के समय प्रवेश देने वाली संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
11. काउंसिलिंग में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान / संस्था में प्रवेश नहीं लेने पर मेरी प्रवेश पात्रता स्वतः निरस्त हो जायेगी।

दिनांक.....

स्थान.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मोबाइल फोन नं.